## <u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला</u>—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर आरसीटी 163/17</u> <u>दांडिक प्रकरण क.-168/17</u> संस्थापित दिनांक-19.05.17

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।
अभियोजन
विरुद्ध
01—रामदास पुत्र जानकी प्रसाद कुशवाह आयु 30 वर्ष
निवासी पचमढी मौहल्ला चंदेरी जिला अशोकनगर म०प्र०
आरोपी
राज्य द्वारा :– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा :– श्री चौरसिया अधिवक्ता।

## —ः <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 12.03.2018 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 498ए, 323 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में कोई उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।
- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया

है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 498ए के संबंध में पारित किया जा रहा है।

- 04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी रानी ने दिनांक 22.04.18 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 21.04.17 समय 12:00 बजे मैं अपने बच्चों के साथ घर पर सो रही थी तथी मेरा पित रामदास आया और मुझे उठाकर कहने लगा कि तुम अपने मायके जा और पचास हजार रूपये लेकर आ तभी में तुझे व बच्चों को रखूगां इस पर से मैंने जाने से मना किया तो मुझे लात घूसों से मारपीट की जिससे मुझे बांय हाथ एवं दांय पैर की जांघ व पीठ में तथा नाक में मुंदी चोट आई है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीके विरुद्ध अपराध कमांक 174/17 के अंतर्गत भादिव की धारा 323, 498ए के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 05— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 498ए, 323 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।
- 06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
  - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 21.04.17 को समय 23:00 बजे फिरयादी का ६ ार पचमढी मौहल्ला थाना चंदेरी पर फिरयादिया रानी कुशवाह के पित होते हुए उससे 50000/—रूपये की मांग कर उसे शारिरिक व मानिसक रूप से प्रताडित कर क्रूरता कारित की ?

## <u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 रानी, अ.सा.2 गेंदाबाई

की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 रानी ने अपने कथन में बताया है कि आरोपी रामदास उसका पित है। उक्त साक्षी के अनुसार उसके पित के साथ उसका घरेलू बातों को लेकर वाद विवाद हो गया था जिस पर से उसने पित के विरूद्ध प्र0पी01 की रिपोर्ट लेखवद्ध करा दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके पित उसके साथ मारपीट करते थे। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके पित उससे पचास हजार रूपये लेकर आने का कहते थे। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसके पित उसके साथ मारपीट करते थे। उक्त साक्षी ने मारपीट एवं दहेज के संबंध मे प्र0पी01 एवं प्र0पी03 मे अभिवचन लिखाए जाने से इंकार किया है। इसी प्रकार अ.सा.2 गेदावाई ने भी अपने कथन मे बताया है कि आरोपी उसका दामाद है तथा उसकी पुत्री का उसके पित के साथ घरेंलू बातों को लेकर वाद विवाद हो गया था। उक्त साक्षी ने भी इस बात से इंकार किया है कि आरोपी उसकी पुत्री के साथ मारपीट करता था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी पचास हजार रूपये की दहेज की मांग करता था।

09— अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मामले की फरियादी एवं अन्य साक्षी पक्षद्रोही हो गये है। उक्त दोनो साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी दहेज की मांग करता था। मामले की फरियादी ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसका घरेलू बात पर से आरोपी के साथ वाद विवाद हो गया था। इस प्रकार अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि आरोपी और फरियादी के मध्य घरेलू बात को लेकर वाद विवाद हुआ था जिस पर से रिपोर्ट की गई थी। अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि आरोपी द्वारा फरियादिया से पचास हजार रूपये की मांग कर उसके साथ कूरता कारित की गई। उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है।

परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 498ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 10- आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 11- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।
- 12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)